



गांव को 'हर घर जल' घोषित करने की प्रक्रिया

(संदर्भ: पैरा 5.4, 'ग्राम पंचायत के लिए मार्गदर्शिका और ग्रामीण परिवारों को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के लिए वी.डब्ल्यू.एस.सी.' का पृष्ठ 53)

'ग्राम पंचायत एवं वी.डब्ल्यू.एस.सी. के लिए मार्गदर्शिका' के प्रावधानके तहत गाँव में सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने का कार्य पूर्ण होने के बाद एक उद्घाटन/ कार्यक्रम आयोजित किया जायेगा. जिसमें उस गाँव के फील्ड इंजीनियर एक रिपोर्ट और प्रमाणपत्र के आधार पर ग्राम सभा एक ठराव पास करेगी। उसके बाद ग्राम पंचायत / वी.डब्ल्यू.एस.सी.'हर घर जल' प्रमाण पत्र जारी करेगी :

जल जीवन मिशन
हर घर जल - प्रमाण पत्र

मैं पिकी कुमारी, सरपंच/अध्यक्ष, ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति/पानी समिति, _____ ग्राम पंचायत, श्रीधर जिला, राज्य का _____ और मैं _____ पंचायत सचिव, प्रमाणित करता हूँ कि गाँव के सभी घरों को नल कनेक्शन प्रदान कर दिया गया है। हर नल से पर्याप्त मात्रा में और नियमित रूप से शुद्ध जल मिल रहा है। यह प्रमाणपत्र ग्राम सभा के संकल्प/ ठराव सं _____ तारीख _____ के आधार पर आज _____ जारी किया गया है।

हस्ताक्षर /
(सरपंच/ वी.डब्ल्यू.एस.सी./ पानी समिति के अध्यक्ष/ अध्यक्ष का नाम)
आधिकारिक मुहर
_____ (को खो रूप में आभार)

हस्ताक्षर /
(पंचायत सचिव का नाम)
आधिकारिक मुहर
_____ (को खो रूप में आभार)

AE/SE
July

जे.जे.एम. ऐप में इस प्रक्रिया को शामिल किया गया है। संबंधित पर्यवेक्षी अधिकारी/ फील्ड इंजीनियर के प्रमाणपत्र तथा ग्राम सभा का संकल्प/ ठराव निम्नानुसार हैं: